



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक- 20.06.2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 200/26 धारा 305(a)/324(4) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ तांबे का तार वजन करीब 06 किलोग्राम व 02 अवैध चाकू बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

थाना खेकड़ा पर आवेदक सतेन्द्र सिंह पुत्र हरपाल सिंह निवासी पट्टी रामपुर कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी व वादी के पड़ोसी महाबीर पुत्र जयसिंह, हरेन्द्र पुत्र सुखबीर सिंह की ट्यूबवैलों से केबिल, अन्य बिजली उपकरण व लोहे का सामान चोरी कर लिया है। बिजली स्टार्टर व अन्य बिजली उपकरणों को छतिग्रस्त कर उनमें से तांबा तार चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर



थाना खेकड़ा पर मु०अ०सं० 200/26 धारा 305(a)/324(4) बीएनएस – 2023 पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद बागपत में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 200/26 धारा 305(a)/324(4) बीएनएस – 2023 का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से ट्यूबवैलो से चोरी किया हुआ तांबे का तार (वजन करीब 06 किलोग्राम) तथा 02 अवैध चाकू बरामद हुये है

।

नोट- पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. संदीप पुत्र चन्दकिरण निवासी पट्टी रामपुर कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र करीब 31 वर्ष।
2. सोनू पुत्र गजे सिंह निवासी पट्टी रामपुर कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- तांबे का तार (वजन करीब 06 किलोग्राम)
- 02 अवैध चाकू।

अभियुक्त संदीप उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 484/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
2. मु0अ0सं0 213/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
3. मु0अ0सं0 200/26 धारा 305(a)/324(4) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
5. मु0अ0सं0 202/26 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

अभियुक्त सोनू उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 91/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
2. मु0अ0सं0 225/23 धारा 414 बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
3. मु0अ0सं0 491/23 धारा 379/411 बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
4. मु0अ0सं0 200/26 धारा 305(a)/324(4) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
6. मु0अ0सं0 202/26 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री अबरार हुसैन कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2- है0का0 752 रविन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 3- रि0का0 185 आशिष कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 4- हो0गा0 632 आदेश त्यागी थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 5- हो0गा0 659 पंकज थाना खेकड़ा जनपद बागपत।